

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : PA/CAO/DLB/UDT/2016/

2520

दिनांक : 14 NOV 2016

:: आदेश ::

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : 3408 (अ) दिनांक 08 नवम्बर 2016 की निरन्तरता में जारी अधिसूचना क्रमांक 3429(अ) दिनांक 10 नवम्बर 2016 के द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, जिसके अन्तर्गत नगरपालिक और रथानीय निकाय भी हैं, को संदेययोग्य कोई फौस, प्रभार, कर या शास्ति के मद्दे संदाय करने के लिए 500/- व 1000/- के जारी नोटों को स्वीकार योग्य माना गया है एवम् उक्त अधिसूचना की निरन्तरता में जारी नोटों को स्वीकार योग्य माना गया है एवम् उक्त अधिसूचना क्रमांक 3448(अ) दिनांक 14 नवम्बर 2016 के द्वारा उक्त आवधि को 24 नवम्बर 2016 तक बढ़ाया गया है।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के क्रम में समरत नगर निगम/परिषद/पालिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी निकाय में इस द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2016 तक विशेष काउण्टर खोलेंगे और यह राशि जमा करने के लिए दिनांक 24 नवम्बर 2016 को रात्रि 12.00 बजे तक जो भी व्यक्ति इसे राशि जमा करवाता है तो 500/- व 1000/- के नोट स्वीकार किये जावेंगे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक व संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : PA/CAO/DLB/UDT/2016/2521-2752

दिनांक : 14 NOV 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

०१. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
०२. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
०३. समरत सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
०४. समरत आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, परिषद, पालिका, राजस्थान।
०५. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी
Myum